

न्यायालयधीनान ग्रामजि अधिकारी महोदय मिलकीपुरजिला-अयोध्या।



- ① श्रीमती कुमिलिनी बरनी संजयकुमार निवासी ग्राममननाई, बरना-बिजनौर तहसील मिलकीपुर जिला-अयोध्या।
- ② श्रीमती सुषमा देवी 40-1 गीता नगर बरना

-----प्राथिनी

1-तरकार 20 20 द्वारा जोरत अहोदय जिला-अयोध्या।

-----विधुनी

बाद अन्वयत धारा 8030, 20 रड संबंधित
 बाकल छाता संख्या 445 नोट 3835/0-0350 हे0
 छातासंख्या 1618 नोट 3837/0-441 हे0 $\frac{3836}{8.452}$ हे0
 ग्रामि स्थित ग्राम-मननाई, बरना-बिजनौर,
 तहसील मिलकीपुरजिला अयोध्या।

144
 300/01
 17-01-2018

प्राथिनी का निवेदन निम्नलिखित है।

यह कि प्राथिनी/बादिनी ग्राम मननाई, बरना-बिजनौर, तहसील मिलकीपुर जिला-अयोध्या की मूल निवासी है।

यह कि बादिनी छाता संख्या 445 की गटा संख्या 3835/0-035 हे0 तथा $\frac{3836}{8.452}$ छातासंख्या 1618 की गटा संख्या 3837/0-441 हे0 की अंकित छाताधारिया है, तथा मोके पर अकृषिक भूमिधर्य में प्रयोग में आती थी जा रही है।

धारा 13 यह कि बादिनी चाहती है कि उपरोक्त दोखरी गाटों में मोके पर निधि लगव की जावासी मान्य है, इसलिए अकृषिक भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है।

यह कि उपरोक्त गाटों में कृषि कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए जावासी भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है। इसलिए यकाद फल प्रकृत किया जा रहा है।

216

20/03/20

01
 3835
 मि. म. म. म.
 धारा 2-
 20/03/20
 65 धारा
 21/03/20
 28/03/20

प्राप्त- यह कि वस्तु बाब के निस्तारण कड़े अधिकार धीमानी के न्यायालय में निहित होने के कारण यह बाब पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्राप्त- यह कि बाबक में निम्नांकित 2 वर्षों की कोर्ट कीस उदा की जा रही है, तथा साथ ही प्रमाणिकता भी की नहीं बाधित की जा रही है।

आ: धीमानी के अर्थात है निम्न के स्वीकार करते हुए ग्राम

मदनगढ़ के अर्थात संख्या 445 की गाटा संख्या 3835/0-035 से 3836/0-459
संख्या 1618 गाटा संख्या 3837/0-44 से 3838/0-459 में सीधे पदावधि होने के
कारण अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण विधेयक की कृपा की जाय।

बाधनी

सुचिता

धीमती मुक्ति विनी पत्नी लक्ष्मण
निम्न-मदनगढ़, पंच 40 राठ
तहसील मिर्जापुर जिला- अयोध्या।

दिनांक 16-8-2022